

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर अहका हुकम में ज
13-7-16	<p> पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प अमरगढ पर पेश हुई। वादी मानसिंह व प्रतिवादी हीरालाल, हरकेश माली ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि हम पशुकारों से सहमति से विभाजन तहसीलदार गंगापूर सिटी के यहाँ कराने की सहमति हुई है। हम पशुकारों से सहमति से भूमि का विभाजन तहसीलदारजी के यहाँ कर लेते। यदि किसी कारणवश सहमति से तहसीलदारजी के यहाँ विभाजन नहीं हो पाता है तो वादी को नया दावा पेश करने की छूट दी जावे। एवं यह दावा वापस लेने की अनुमति दी जावे। </p> <p> पशुकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार वादी को वाद वापिस लेने व नवीन वाद दायर करने की अनुमति प्रदान की जाती है। पत्रावली फैसल श्रुति हो कर नम्बर से क्रम हो एवं वाद तकमील दाखिल दफतर हो। फर्च डिक्री जारी किया जावे। </p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p><i>(संतीश कुमार शर्मा)</i></p> <p>सदस्य लोक अदालत गंगापूर सिटी</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><i>(रवि कुमार शर्मा)</i></p> <p>सदस्य लोक अदालत गंगापूर सिटी</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><i>(मुनिदेव यादव)</i></p> <p>अध्यक्ष लोक अदालत गंगापूर सिटी स्व उप जिला कलेक्टर गंगापूर सिटी</p> </div> </div>	

माली
 हीरालाल माली
 हरकेश माली

नम्बर
अहक
हुकम
में

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापूर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) फोलोअप कैम्प स्थान अमरगढ
पीठासीन अधिकारी:- मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

(उनवान पृष्ठ भाग पर अंकित है।)

दावा बाबत विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. - 17/2011

वादी की ओर से वादी मानसिंह व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी हरकेश वगैरा की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 13.7.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामे के अनुसार पक्षकारान ने आपस मे सहमति से वादग्रस्त भूमि का विभाजन कर लेने हेतु निवेदन किया है। अतः वादी को दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है तथा सहमति से विभाजन नही होने की स्थिति मे वादी को नया दावा प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। राजीनामा निर्णय का हिस्ता रहेगा।

खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 13.7.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापूर सिटी
गंगापूर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	

कैम्प
सिंह व
ने
किया है कि
विभाजन
कराने
सहमति
दायरी के
कारणवश
के यहां
तो वादी को
की छूट दी
स लेने की

राजीनामा
नुसार वादी
वाद दायर
जाती है।
नम्बर से
केम दफतर हो।

(मुनिदेव यादव)
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापूर सिटी
स्व
उप जिला कलेक्टर
गंगापूर सिटी

उनवान

मानसिंह पुत्र खंगारसिंह राजपूत निवासी मच्छीपुरा तह0 गंगापुर सिटी

—वा

बनाम

1. मीठया पुत्र कल्ला माली निवासी चौकी अमरगढ तह0 गंगापुर सिटी
2. बत्तीलाल पुत्र किशनलाल माली निवासी चौकी अमरगढ तह0 गंगापुर सिटी
3. हीरालाल पुत्र किशनलाल माली निवासी चौकी अमरगढ तह0 गंगापुर सिटी
4. गोपाल पुत्र किशनलाल माली निवासी चौकी अमरगढ तह0 गंगापुर सिटी
5. देवीलाल पुत्र किशनलाल माली निवासी चौकी अमरगढ तह0 गंगापुर सिटी
6. गोरधनी पत्नी कन्हैया माली निवासी चौकी अमरगढ तह0 गंगापुर सिटी
7. भौती पत्नी रामजीलाल माली निवासी चौकी अमरगढ तह0 गंगापुर सिटी
8. मूडया पुत्र गोकुल माली निवासी चौकी अमरगढ तह0 गंगापुर सिटी
9. सूवा पुत्र गोकुल माली निवासी चौकी अमरगढ तह0 गंगापुर सिटी
10. पुखराज पुत्र रमसी माली निवासी चौकी अमरगढ तह0 गंगापुर सिटी
11. हरकेश पुत्र रमसी माली निवासी चौकी अमरगढ तह0 गंगापुर सिटी
12. रूपसिंह पुत्र रमसी माली निवासी चौकी अमरगढ तह0 गंगापुर सिटी
13. फूलसिंह पुत्र रमसी माली निवासी चौकी अमरगढ तह0 गंगापुर सिटी
14. नारायणी पत्नी रमसी माली निवासी चौकी अमरगढ तह0 गंगापुर सिटी
15. रामसहाय पुत्र भौरया मृतक
- 15/1 मु. जस्सू पत्नी रामसहाय माली निवासी चौकी अमरगढ तह0 गंगापुर सिटी
- 15/2 जयराम पुत्र रामसहाय माली निवासी चौकी अमरगढ तह0 गंगापुर सिटी
- 15/3 सरबू पुत्री रामसहाय माली निवासी चौकी अमरगढ तह0 गंगापुर सिटी
16. सुखराम पुत्र गुटटी माली निवासी चौकी अमरगढ तह0 गंगापुर सिटी
17. पप्पू पुत्र गुटटी माली निवासी चौकी अमरगढ तह0 गंगापुर सिटी
18. रोशनलाल पुत्र काडू माली निवासी चौकी अमरगढ तह0 गंगापुर सिटी
19. छोटी पत्नी काडू माली निवासी चौकी अमरगढ तह0 गंगापुर सिटी
20. फौरन्ती पुत्री काडू माली निवासी चौकी अमरगढ तह0 गंगापुर सिटी
21. शिमला पुत्री काडू
22. ललिता पुत्री काडू नावालिग जरिए सरंक्षक माता छोटी माली निवासी चौकी
23. राजन्ती पत्नी रामजीलाल माली निवासी चौकी अमरगढ तह0 गंग
24. लाली पत्नी गिराज माली निवासी चौकी अमरगढ तह0 गंगापुर सिटी
25. संती पत्नी केशरया माली निवासी चौकी अमरगढ तह0 गंगापुर सिटी
26. यूनियन बैक आफ इंडिया शाखा गंगापुर सिटी जरिए प्रबधक
27. सरकार जरिए लेंड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

—प्रति

दावा बाबत विभाजन, स्थाई निषेधाज्ञा



उप जिला कले
गंगापुर सिटी

राज्यपालक लक्ष्मण अधिकारी एवं धरनेन सहायक कलेक्टर
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट)
 केम्प कोर्ट का स्थान - उमरगढ

प्रपत्र 8
अमरगढ

राजीनामा प्रपत्र

दिनांक 13/7/16

राजीनामा
मानसिंह
17/2011

बनाम श्रीमान
 अन्तर्गत धारा 53, 188 A.N. Act
मानसिंह

जिस प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री मानसिंह को उक्त प्रकरण में लक्षित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो गई है। हम पक्षकारों के बीच सुलह अच्छे हो चुके हैं।

हम प्रार्थी/वादी श्री मानसिंह को उक्त प्रकरण में लक्षित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो गई है। हम पक्षकारों के बीच सुलह अच्छे हो चुके हैं।

मानसिंह

- प्रतिवादी पक्ष 1. श्रीमान
 2. श्रीमान
 3. श्रीमान
 4. श्रीमान

मानसिंह
 पंचायत
 अमरगढ (म.प्र.)
 700 Court अमरगढ

श्रीमान
 सरपंच
 पहचानकर्ता के पंचायत अमरगढ
 (प्रतिवादी पंचायत गंगपुर सिटी (स.प्र.))

एव अप्रार्थी/ प्रतिवादी श्रीमान, श्रीमान

श्रीमान
 (सदस्य) (ह. सदस्य)
 (श्रीमान शर्मा)
 सचिव
 सदस्य
 लोक अदालत
 गंगपुर सिटी

श्रीमान
 (ह. सदस्य) (ह. सदस्य)
 (श्रीमान शर्मा)
 सचिव
 सदस्य
 लोक अदालत
 गंगपुर सिटी

श्रीमान
 (मुनिंदर यादव)
 अध्यक्ष
 पीठासीन अधिकारी
 लोक अदालत
 गंगपुर सिटी
 एवं
 उप जिला कलेक्टर
 गंगपुर सिटी